



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar @mgahv.in

क्रमांक: 006/Estt./2010/4-2/ Vol.IV/1789

दिनांक: 18/10/2022

कार्यालयादेश

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत, प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ को 'अंतरराष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग' का पदेन अध्यक्ष नामित किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 12.08.2022 को जारी अधिसूचना क्रमांक 006/Estt./2010/4-2/Vol.IV/1343 को अधिक्रमित करते हुए कार्य-परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)

कार्यकारी कुलसचिव

19/10/22

प्रति,

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
अधिष्ठाता
अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (संज्ञानार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु) :

- 1) कुलपति कार्यालय
- 2) प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
- 3) समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
- 4) अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
- 5) प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
- 6) प्रभारी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धिपुर, अमरावती
- 7) कुलसचिव कार्यालय
- 8) वित्ताधिकारी कार्यालय
- 9) लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 10) संबंधित पत्रावली
- 11) रक्षित पत्रावली